न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 135 / 2022

RCMS No. : 2022/290

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. श्री ललित कुमार पुत्र लखमाराम घांची (विक्रेता) मैसर्स ललित डिस्ट्रीब्युट्रर्स भैरू चौक सुमेरपुर जिला पाली 2. श्री रमेश कुमार परमार पुत्र श्री लखमाराम घांची (मालिक) मैसर्स ललित डिस्ट्रीब्युट्रर्स भैरू चौक सुमेरपुर जिला पाली 3. महेन्द्र जैन पुत्र श्री रामदयाल जैन (मालिक) मैसर्स वर्धमान एन्ट्रप्राईजेज राजधानी कृषि मण्डी कुकर खेडा सीकर रोड़ जयपुर 4. श्री राजु भाई राठौड पुत्र श्री उका भाई (नोमिनी) M/S SDP Industries Private Limited Survey No 54/2, 54/2A and 54/2B Behind fire Station Ringanwada Village Dabhel Daman Dadra and Nagar Haveli an Daman and Diu- 396210

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्राथीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30-5-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 10.02.2022 को दौराने गशत अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स ललित डिस्ट्रीब्युटर्स भैरू चौक सुमेरपुर जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला। अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान पर आमजन को बिक्री हेतु 500 एमएल, 5 लीटर एवं 15 लीटर के टीन में कुल 850 लीटर घी (श्री सरस ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी संख्या 01 को बता दिया की घी (श्री सरस ब्राण्ड) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में 500 एमएल घी(श्री सरस ब्राण्ड) के 04 पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर 800/–रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 01 से खरीदशुदा घी (श्री सरस ब्राण्ड) के चारो पैकेटों को अलग–अलग पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1334 लिखा एंव अन्य नमुना विवरण अंकित किया गया,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

जिसे चारों नमुना पैकेट पर चिपकाकर नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की जिस पर गवाह, अप्रार्थी संख्या 01 एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 01 (विक्रेता) ने मौके पर अधिकृत विक्रेता मैसर्स वर्धमान एन्ट्ररप्राईजेज राजधानी कृषि मण्डी कुकर खेडा सीकर रोड जयपुर का बिल पेश किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को मेरें स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/482/एक्ट/2022/484 दिनांक 25.02.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से लिया गया नमुना कोड संख्या आर–1334 Sub-Standards पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमुना पदार्थ की पुनः जांच रेफरेल फुड लेब पुणे से करवायी जिसकी रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/पी/230/22/337 दिनांक 31.05.2022 के अनुसार भी उक्त नमूना Sub-Standards (अमानक) स्तर का पाया गया। नमुना कोड संख्या आर–1334 घी (श्री सरस ब्राण्ड) का उत्पादन अप्रार्थी संख्या 04 की कम्पनी में किया गया था जिसके संबध में बिल की प्रति पत्रावली के सलंग्न है जिसे अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा खरीद किया गया था। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub standards घी (श्री सरस ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 एक की फर्म से लिया गया घी (श्री सरस ब्राण्ड) का नमुना संख्या आर–1334 सब स्टेण्डर्ड की श्रैणी में नही आता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म से नमुना लेने की कार्यवाही नियमानुसार नही की। अप्रार्थी संख्या 01 को दिया गया फार्म संख्या 5ए पर नमुना कोड संख्या अंकित नही था न ही प्रपत्र में यह लिया गया नमुना के संबध में किस्म एवं मात्रा का अंकन नही है, जिससे यह स्पष्ट नही होता कि जो नमुना अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया है वह नमुना ही जोधपुर लेब में जाचं हेतु भेजा गया था। रेफरल लैब पुणे की जाचं रिपोर्ट में पैरामीटर क्र.स. 8 के तहत फोरेन फैट अंकित की हुई है जो जाचं हेतु निर्धारित पैरामीटर में शामिल नही है क्योंकि जब तक किसी जांच नियम का नोटिफिकेशन नही हुआ हो वह जाचं मान्य नही हो सकती है। साथ ही फौरेन फैट किस प्रकृति का है यह रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेखित नही है एवं न ही रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि जांच में किस मैथड का उपयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जांच रिपोर्ट विधिमान्य है। नमुना लेते समय दो गवाह की उपस्थिति आवश्यक होती है जो प्रार्थी द्वारा नही की गई। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से जिस अवस्था में घी (श्री सरस ब्राण्ड) खरीद किया था उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जिस अवस्था में अप्रार्थी संख्या 04 से खरीद किया था उसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 01 को विक्रय किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमुना लिया गया था वह घी (श्री सरस ब्राण्ड) सील पैक अवस्था में था जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 तक घी (श्री सरस ब्राण्ड) में किसी प्रकार कि मिलावट नही कि जाती है जैसा निर्माता फर्म से प्राप्त होता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 का किसी प्रकार का दोष नही है जिससे अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा मानक और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 80आ (2)(घ)(1) के तहत बिल वारंटी का लाभ देते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध की कार्यवाही ड्रोप करावें।

उभयपक्ष की बहस एवं लिखित जवाब पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2022 को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से घी(श्री सरस ब्राण्ड) वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1334 अंकित कर सीलबन्द किया गया अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना घी(श्री सरस ब्राण्ड) अप्रार्थी संख्या 03 की फर्म मैसर्स वर्धमान एन्ट्ररप्राईजेज राजधानी कृषि मण्डी कुकर खेडा सीकर रोड जयपुर से खरीद किया गया है। खरीद बिल पत्रावली के संलग्न है एवं अप्रार्थी सख्या 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 जो निर्माता कम्पनी है से जरिये बिल खरीद किया था जिसकी प्रति पत्रावली में सलंग्न है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही पर उजर एतराज जताया है जिसके संबध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से जो नमुना लिया गया है उसके संबध में की गई कार्यवाही अपने अधिकार क्षैत्र में रहते हुए की है। प्रार्थी ने इसके संबध में दस्तावेज पेश किये जो पत्रावली में मौजुद है। साथ ही पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमुने का विवरण, फर्म का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफ.एस.एस एक्ट के तहत समस्त योग्यताएं रखता है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 37 में दी गई है। अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना कोड संख्या आर–1334 घी (श्री सरस ब्राण्ड) को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जिसके सन्दर्भ में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से रिपोर्ट संख्या एल.एस/482/एक्ट/2022/484 दिनांक 25.02.2022 अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना घी (श्री सरस ब्राण्ड) अमानक (Sub-standards) का पाया गया। नमुने की पुनः जांच हेतु रेफरेल लैब पुणे भेजा गया जिसकी रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त नमुना संख्या आर–1334 अमानक (Sub-standards) पाया गया जो अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है, जो धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा घी (श्री सरस ब्राण्ड) (Sub-standards) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 4 पर 25,000/–अक्षरे पच्चीस हजार की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्दभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 30-5-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली